



2026:AHC: 2467

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19530 वर्ष 2025

श्रीमती सुशीला देवी एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बी.डी. शुक्ला, लक्ष्मी प्रसाद शर्मा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. शुक्ला और राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनूप कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के पिता स्वर्गीय सुनील कुमार पी.ए.सी. की 11वीं वाहिनी में मुख्य आरक्षी के पद पर तैनात थे, उनका निधन 28.06.2019 को हो गया था, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति हेतु दावे की मांग कर रही हैं, लेकिन याचिकाकर्ता संख्या 2 के चरित्र का सत्यापन नहीं किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 3, जिलाधिकारी, कानपुर नगर के समक्ष लंबित है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के सहयोग से किया जाए।
4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है और रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह 22.01.2026 तक तीसरे प्रतिवादी के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, तीसरे प्रतिवादी, द्वितीय प्रतिवादी सेना नायक, 11वीं वाहिनी पी.ए.सी., सीतापुर के सहयोग से पात्रता, उपयुक्तता और प्रतिस्पर्धी दावों को देखते हुए तीन महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7 जनवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।